

06.04.21

वकील अपीलान्त उपर। रेसपोन्डे सही पते के
रजिस्टर्ड मदी सम्मन आज भी पेश नहीं हुए
सम्भव चाहते हैं। परन्तु आदेशिका दिनांक 31.03.21
के अनुसार समय दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः
पत्रावली आठ 9 नि० 5 के तहत अदम तकमील
में रकारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुभार
होकर नम्बर से कम की जावे, बाद जाहा दाखिल
दफतर हो।

शु प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्थान प्रीत प्राधिकारी
नरतपुर (राज.)